ए.

हेमंत कुमार वर्मा और हमारा।

बनाम

कर्मचारी राज्य बीमा निगम और ओआरएस। (2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 444)

बी.

22 जुलाई, 2022

**[**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

न्यायालयसन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालयनन्यायालयून्यायालयनन्यायालय-
न्यायालयसन्यायालयन्यायालयनन्यायालयान्यायालयतन्यायालयकन्यायालयोन्यायालयतन्यायाल
यन्यायालयतन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयचन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयिन्यायालयतन्यायालयन्यायालयसन्यायालयान्यायाल
य
न्यायालयपन्यायालयान्यायालयठन्यायालयन्यायालययन्यायालयकन्यायालयन्यायालयरन्यायालय
मन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालयकन्यायालयन्यायालयषन्यायालयणन्यायालय-
न्यायालयकन्यायालयनन्यायालयिन्यायालयषन्यायालयन्यायालयठन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयवन्यायालयान्यायालयसन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयडन्यायालयॉन्यायालयकन्यायालयन्यायालयटन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालययन्यायालयमन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयॉन्यायालयकन्यायालयन्यायालयटन्यायालयरन्यायालय-याची न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयनन्यायालयिन्यायालयषन्यायालयन्यायालयठन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयिन्यायालयवन्यायालयान्यायालयसन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयडन्यायालयॉन्यायालयकन्यायालयन्यायालयटन्यायालयरन्यायालय

न्यायालयहन्यायालयैन्यायालयंन्यायालय-प्रत्यर्थी न्यायालय-न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयखन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयरन्यायालयीन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालयान्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालयान्यायालयतन्यायालय्न्यायालय
कन्यायालयान्यायालयरन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयान्यायालयधन्यायालय्न्यायालययन्यायालयमन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयबन्यायालयीन्यायालयमन्यायालयान्यायालय
न्यायालयचन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय्न्यायालयसन्यायालयान्यायाल
य न्यायालयअन्यायालयधन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयान्यायालयरन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयगन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयेन्यायालयडन्यायालय-
न्यायालय।न्यायालय।न्यायालय न्यायालय(न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयमन्यायालय.न्यायालय न्यायालयओन्यायालय.न्यायालय-
न्यायालय।न्यायालय।न्यायालय)न्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयभन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयतन्यायालयान्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय-
न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयदन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयचन्यायालयान्यायालयलन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयसन्यायालय्न्यायालयथन्यायालयान्यायालयनन्यायालयोन्यायालयं
न्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयसन्यायालय्न्यायालयनन्यायालयान्यायालयतन्यायालयकन्यायालयोन्यायालयतन्यायाल
य्न्यायालयतन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयीन्यायालयटन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालय"न्यायालयसन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयान्यायालयकन्यायालयान्यायालयलन्यायाल
यीन्यायालयनन्यायालय"न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयॉन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयटन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयचन्यायालयान्यायालयसन्यायालय
न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयशन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयषन्यायालयणन्यायालय

न्यायालयपन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयदन्यायालयान्यायालयनन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयरन्यायालयतन्यायालयान्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय-
न्यायालयजन्यायालयबन्यायालयकन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयएन्यायालयमन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयओन्यायालय.न्यायालय-न्यायालय | न्यायालय | न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयपन्यायालयदन्यायालय
न्यायालय"न्यायालयसन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयान्यायालयकन्यायालयान्यायालयलन्यायाल
यीन्यायालयनन्यायालय"न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयॉन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयटन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयदन्यायालयान्यायालययन्यायालयरन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयशन्यायालयान्यायालयमन्यायालयिन्यायालयलन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयैन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयनन्यायालयिन्यायालयषन्यायालय्न्यायालयठन्यायालय
न्यायालयडन्यायालयॉन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयटन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालयंन्यायालय-
न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय न्यायालयसन्यायालयीन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय न्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयएन्यायालयसन्यायालय.न्यायालय न्यायालयआन्यायालयईन्यायालय.न्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयडन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयलन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयॉन्यायालयलन्यायालयेन्यायालयजन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालय"न्यायालयसन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयान्यायालयकन्यायालयान्यायालयलन्यायाल
यीन्यायालयनन्यायालय"न्यायालय
न्यायालयडन्यायालयॉन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयटन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयवन्यायालयेन्यायालयदन्यायालयनन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयमन्यायालयंन्यायालयतन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयिन्यायालयतन्यायाल
य न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयहन्यायालयैन्यायालयंन्यायालय-याची
न्यायालय न्यायालयनन्यायालयेन्यायालय
न्यायालय"न्यायालयसन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयान्यायालयकन्यायालयान्यायालयलन्यायाल
यीन्यायालयनन्यायालय"न्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयटन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयचन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय प्रत्यर्थी न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय न्यायालयकन्यायालयईन्यायालय

न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालयवन्यायालयेन्यायालयदन्यायाल यनन्यायालय न्यायालयदन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयैन्यायालयंन्यायालय-
न्यायालयचन्यायालयून्यायालयंन्यायालयकन्यायालयिन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयउन्यायालयनन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयन्यायालयरन्यायालयतन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयन्यायालयरन्यायालयि न्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयनन्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयमन्यायालयिन्यायालयलन्यायालयीन्यायालय न्यायालयथन्यायालयीन्यायालय।
न्यायालयजूनियर रेजिडेंट और आई. एम. ओ.-II के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जहां पहला एक संविदात्मक पद है जहां एम. बी. बी. एस. की डिग्री पूरी होने पर बांड की शर्त के कारण सीधे डॉक्टर कार्यरत होते हैं, वहीं दूसरा एक स्थायी पद है-'सेवाकालीन' उम्मीदवारों के लिए आरक्षण एक प्रोत्साहन है और आई. एम. ओ.-II डॉक्टरों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है जो प्रत्यर्थी-संस्थान में सेवानिवृत्ति तक सेवा करेंगे-जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों और नियमित रूप से भर्ती किए गए ई. एस. आई. सी. डॉक्टरों के बीच कानून में स्पष्ट अंतर है-इसलिए 'सेवाकालीन' कोटा, बाद की श्रेणी को उचित रूप से उपलब्ध कराया जाता है-याचिकाकर्ता नियमित रूप से भर्ती किए गए बीमा चिकित्सा अधिकारियों के साथ सेवा कोटे का लाभ लेने के लिए समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ **(2003) 11** एस**.** सी**.** सी**.**

**:[2003] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 152-**अनुसरण किया गया।

यतिन कुमा जसुबाही बनाम गुजरात राज्य **(2019) 10** एस**.** सी**.** सी**. 1:[2019] 12** एस**.** सी**.** आर**. 848;** प्रदीप जैन बनाम भारत संघ

**(1984) 3** एससीसी **654:[1984] 3** एस**.** सी**.** आर**. 942-**पर निर्भर।

एच.

184 ए.

185

संदर्भित निर्णय

**[2003] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 152** के बाद पैरा **6 [2019] 12** एस**.** सी**.** आर**. 848** पैरा **6 [1984] 3** एस**.** सी**.** आर**. 942** पर निर्भर था।

पर भरोसा किया गया |

पैरा **9**

बी.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 444।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

सचिन पाटिल, जियो जोसेफ, रिस्वी मुहम्मद, अधिवक्तागण याचिकाकर्ताओं के लिए।

सी.

मनीष कुमार सरन, शिवम सिंह, निर्विकार सिंह, हर्ष चौधरी, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** जे**.**

डी.

1. प्रत्यर्थी -कर्मचारी राज्य बीमा निगम 1-कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 2 के तहत बनाया गया एक वैधानिक निकाय है।2010 का अधिनियम 18 ने 1948 के अधिनियम में धारा 59 (बी) को जोड़ा जिसमें कहा गया है कि निगम कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने कर्मचारियों के लिए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर सकता है।याचिकाकर्ता कनिष्ठ निवासी हैं जिन्होंने ई. एस. आई. सी. द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में अपना स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम पूरा किया है। ई. एस. आई. सी. द्वारा संचालित संस्थानों में अपनी शिक्षा प्राप्त करने वाले स्नातक चिकित्सा छात्रों को कनिष्ठ निवासियों के रूप में संस्थानों में सेवा करनी होती है।याचिकाकर्ताओं को कनिष्ठ निवासियों के रूप में पांच साल के बांड की सेवा करने की आवश्यकता थी।2. प्रतिवादी-संस्थान लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार के माध्यम से बीमा चिकित्सा अधिकारी ग्रेड-II 3 की भर्ती करते हैं।ई. एस. आई. सी. द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों में "सेवाकालीन" डॉक्टरों के लिए ई. एस. आई. सी. पचास प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। जबकि आई. एम. ओ.-II का पद 'सेवाकालीन' डॉक्टरों के दायरे में शामिल है, जूनियर डॉक्टर नहीं हैं।प्रत्यर्थी  ने 10 नवंबर 2021 को ई.

एस. आई. मेडिकल कॉलेजों के योग्य 'सेवाकालीन' डॉक्टरों से आवेदन आमंत्रित करते हुए एक नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ताओं ने 11 फरवरी 2022 को अभ्यावेदन दिया।

ई.

एफ.

जी.

1 “ई. एस. आई. सी./प्रतिवादी-संस्थान "2" 1948 का अधिनियम "

एच.

3 ‘आई. एम. ओ-II "



डी. एन. बी. पाठ्यक्रमों के लिए 'सेवाकालीन' कोटे में विचार किए जाने की मांग करने वाले प्रतिवादी-संस्थान को मार्च 2022 और 25 अप्रैल 2022।चूंकि प्रतिवादी-संस्थान से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है।याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थना की हैः

“(i) पी. जी. पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षण में शामिल करने के उद्देश्यों के लिए याचिकाकर्ता/कनिष्ठ निवासी डॉक्टर ई. एस. आई. सी./ई. एस. आई. एस. के योग्य "सेवाकालीन" डॉक्टर हैं, यह घोषित करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश का आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें।(ii) ई. एस. आई. सी./ई. एस. आई. एस. संस्थानों में सेवारत कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 50 प्रतिशत "सेवाकालीन" डॉक्टरों के आरक्षण का विस्तार करने के लिए प्रत्यर्थियों को आदेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश, निर्देश जारी करें।”

बी.

सी.

3. याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि कनिष्ठ निवासी डॉक्टरों और आई. एम. ओ.-II के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों के पास समान योग्यता, अधिकार, कर्तव्य और जिम्मेदारियां हैं। हालांकि, स्नातकोत्तर शिक्षा में आरक्षण "सेवाकालीन" श्रेणी में बाद वाले को प्रदान किया जाता है, लेकिन यह पहले वाले को प्रदान नहीं किया जाता है।

डी.

4. उप चिकित्सा आयुक्त (चिकित्सा शिक्षा) ने प्रत्यर्थी  की ओर से इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया है जिसमें याचिकाकर्ताओं जैसे कनिष्ठ निवासी डॉक्टरों और ई. एस. आई. सी. द्वारा भर्ती किए जाने वाले नियमित चिकित्सा अधिकारियों के बीच अंतर बताया गया है। शपथ पत्र में इस प्रकार कहा गया हैः

ई.

(i) जो उम्मीदवार इन कॉलेजों में अपने स्नातक डिग्री पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें एक निर्धारित अवधि के लिए ई. एस. आई. सी. अस्पतालों में सेवा करने के लिए एक बांड निष्पादित करना आवश्यक है।2017 तक बॉन्ड की अवधि पांच साल थी, जिसके बाद इसे घटाकर तीन साल कर दिया गया था।

एफ.

(ii) 28 जुलाई 2020 के एक ज्ञापन द्वारा, ई. एस. आई. सी. मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में स्नातक एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. छात्रों के लिए बांड की अवधि को घटाकर एक वर्ष कर दिया गया था।ज्ञापन के पैरा 2 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल हैंः“2. बॉन्ड अवधि और बॉन्ड राशि में कमी प्रति व्यक्ति संभावित होगी, लेकिन निम्नलिखित तरीके सेः

जी.

2.1 बॉन्ड अवधि और बॉन्ड राशि में कमी का लाभ भी (i) सभी मौजूदा छात्रों को दिया जाएगा।

एच.



(एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस.); (ii) नए यू. जी. (एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस.) उत्तीर्ण; और (ii) यू. जी. (एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस.) उत्तीर्ण जो पहले से ही बॉन्ड के तहत ई. एस. आई. सी. की सेवा कर रहे हैं।

2.2 बॉन्ड के तहत पहले से ही सेवा कर रहे पास-आउट के मामले में, यदि प्रदान की गई सेवा की अवधि 1 वर्ष से अधिक है, तो उन्हें बॉन्ड की बची हुई अवधि के लिए ईएसआईसी को भुगतान किए बिना राहत दी जा सकती है।”

बी.

(iii) याचिकाकर्ताओं ने 2019 और 2020 के बीच अपनी एक वर्ष की अनिवार्य बांड अवधि पूरी की।हालाँकि उन्हें एक वर्ष से अधिक सेवा करने की कोई बाध्यता नहीं थी, जैसा कि 28 जुलाई 2020 के ज्ञापन में निर्धारित किया गया है, उन्होंने अपनी इच्छा से सेवा करना जारी रखा है।

सी.

(iv) याचिकाकर्ताओं को निम्नलिखित कारणों से 'सेवाकालीन' डॉक्टरों के लिए उपलब्ध 50 प्रतिशत आरक्षण का दावा करने के लिए आई. एम. ओ.-II डॉक्टरों के बराबर नहीं माना जा सकता हैः

डी.

(क) ई. एस. आई. सी. में नियमित चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती पद के भर्ती विनियमों के माध्यम से रिक्तियों का विज्ञापन करके की जाती है; (ख) याचिकाकर्ता ई. एस. आई. सी. चिकित्सा महाविद्यालयों में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बांड की शर्त को पूरा कर रहे थे।इस प्रकार, उन्हें भर्ती नहीं किया जाता है और उन्हें सेवाकालीन डॉक्टर नहीं कहा जा सकता है; और

ई.

(ग) चिकित्सा अधिकारी ई. एस. आई. सी. कर्मचारी और सेवा की शर्त विनियम 1959 द्वारा शासित होते हैं।कनिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों की छुट्टी और अन्य अधिकार ई. एस. आई. सी. रेजीडेंसी योजना में निर्धारित किए गए हैं।24 नवंबर 2020 को एक संशोधित ई. एस. आई. सी. निवास योजना जारी की गई थी।इसलिए, चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ निवासियों की भर्ती अलग-अलग नियमों के तहत की जाती है और वे अलग-अलग नियमों द्वारा शासित होते हैं।

एफ.

5. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील श्री सचिन पाटिल और प्रतिवादियों की ओर से पेश वकील श्री मनीष कुमार सरन को सुना है।

जी.

6. याचिकाकर्ताओं का तर्क दो गुना है।एक, जूनियर रेजिडेंट 'इन-सर्विस' डॉक्टर हैं।इस प्रकार आरक्षण लाभों के प्रावधान के लिए उनके साथ आई. एम. ओ.-II डॉक्टरों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए।कनिष्ठ निवासियों और आई. एम. ओ.-II डॉक्टरों की योग्यता, पात्रता, कर्तव्य, जिम्मेदारियां और वेतनमान समान हैं।फर्क सिर्फ इतना है

एच.

दोनों श्रेणियों के बीच नियुक्ति का तरीका है।जबकि कनिष्ठ निवासियों को सीधे उस बंधन के कारण नियुक्त किया जाता है जिसकी वे सेवा कर रहे हैं, आई. एम. ओ.-II डॉक्टरों को एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है।दूसरा, कनिष्ठ निवासी संस्थागत वरीयता पर प्रत्यर्थी संस्थानों में 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र हैं।न्यायालयों ने स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में संस्थागत वरीयता के माध्यम से आरक्षण को मान्यता दी है।

बी.

सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ **4** और यतिन कुमा जसुबाही बनाम गुजरात राज्य **5.**

7. याचिकाकर्ता ई. एस. आई. सी. मेडिकल/डेंटल कॉलेजों से अपने स्नातक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं और पहले ही अपनी एक साल की अनिवार्य बांड अवधि पूरी कर चुके हैं।बॉन्ड अवधि में कमी जो 28 जुलाई 2020 को लाई गई थी, उन सभी मौजूदा छात्रों के साथ-साथ स्नातक (एमबीबीएस/बीडीएस) उत्तीर्ण छात्रों के लिए भी बढ़ा दी गई थी जो बॉन्ड के तहत ईएसआईसी की सेवा कर रहे थे।28 जुलाई 2020 के ज्ञापन को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं के लिए कनिष्ठ निवास का एक वर्ष पूरा होने के बाद जाने की अनुमति थी।

सी.

8. 2 फरवरी 2018 को, स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए संशोधित ई. एस. आई. सी. निवास योजना जारी की गई थी।इस योजना में प्रावधान है कि कनिष्ठ निवासियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जाएगा।इसमें उल्लेख किया गया है कि "उन्हें भारत में कहीं भी अस्पतालों और औषधालयों सहित ई. एस. आई. स्वास्थ्य प्रणाली (ई. एस. आई. एस./ई. एस. आई. सी.) में रोगी देखभाल के वैध हित में आवश्यक कार्य करने की आवश्यकता होगी।" ज्ञापन में आगे कहा गया है कि कनिष्ठ निवासियों के लिए वेतन संरचना केंद्रीय निवास योजना के तहत कनिष्ठ निवासियों के लिए पैमाने के समान है।आई. एम. ओ.-II चिकित्सक ई. एस. आई. सी. कर्मचारी और सेवा की स्थिति विनियम 1959 द्वारा शासित होते हैं।कनिष्ठ निवासियों और आई. एम. ओ.-II के बीच महत्वपूर्ण अंतर यह है कि पहला एक संविदात्मक पद है जहां डॉक्टरों को एम. बी. बी. एस. की डिग्री पूरी होने पर बांड की शर्त के कारण सीधे नियुक्त किया जाता है, दूसरा एक स्थायी पद है।इसलिए, नियुक्ति का तरीका और पदों का कार्यकाल अलग-अलग होता है।आई. एम. ओ.-II 'जो अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा को सेवाकालीन उम्मीदवारों के रूप में आगे बढ़ाते हैं, वे अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद प्रत्यर्थी संस्थान की सेवा करेंगे।हालांकि, कनिष्ठ निवासियों के मामले में, क्योंकि वे संविदात्मक कर्मचारी हैं जो बांड की सेवा कर रहे हैं, वे अपनी स्नातकोत्तर पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रतिवादी-संस्थान की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं हैं।सेवारत उम्मीदवारों के लिए आरक्षण एक प्रोत्साहन है और आई. एम. ओ.-II डॉक्टरों के लिए एक अतिरिक्त लाभ है जो

डी.

ई.

एफ.

जी.

4 (2003) 11 एससीसी 146 5 (2019) 10 एससीसी 1 ए

एच.

189

हेमंत कुमार वर्मा बनाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

सेवानिवृत्ति तक प्रत्यर्थी-संस्थान में सेवा करते हुए।ऐसी परिस्थितियों में, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि कनिष्ठ निवासी और आई. एम. ओ.-II डॉक्टर एक-दूसरे के बराबर हैं, पूर्व के लिए "सेवाकालीन" डॉक्टर के रूप में माने जाने के योग्य नहीं है।

9. सौरभ चौधरी (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 'संस्थागत वरीयता' के आधार पर आरक्षण को मंजूरी दी, जैसा कि में निर्धारित किया गया है।

बी.

प्रदीप जैन बनाम भारत संघ **6.**यतिन कुमा जसुबही **(**ऊपर**)** में**,** ए

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश में संस्थागत वरीयता को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की गई थी।उस मामले में याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि हालांकि इसके द्वारा संस्थागत आरक्षण को बरकरार रखा गया था।

प्रदीप जैन (ऊपर) और सौरभ चौधरी (ऊपर) के मामले में न्यायालय ने कहा कि

सी.

एन. ई. ई. टी. के रूप में अखिल भारतीय परीक्षा की शुरुआत के कारण इसकी अनुमति नहीं होगी। इस तर्क को खारिज करते हुए, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि संस्थागत वरीयता के माध्यम से स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश केवल एन. ई. ई. टी. परीक्षा में प्राप्त रैंक के आधार पर उम्मीदवारों को दिए जाते हैं।सौरभ चौधरी (ऊपर) और प्रदीप जैन (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में संस्थागत वरीयता स्वीकार्य और संवैधानिक है।हालाँकि, यह न्यायालय प्रत्यर्थी को संस्थागत वरीयता के माध्यम से प्रवेश आयोजित करने का निर्देश देने वाला आदेश जारी नहीं कर सकता है।संस्थागत वरीयता प्रदान करना है या नहीं, इसका निर्णय केवल प्रत्यर्थी-प्राधिकरण के पास है क्योंकि यह नीति के दायरे में आता है।

डी.

ई.

10. उपरोक्त परिसर में, कनिष्ठ निवासी डॉक्टरों और नियमित रूप से भर्ती किए जाने वाले ई. एस. आई. सी. डॉक्टरों के बीच कानून में स्पष्ट अंतर है।इसलिए, सेवाकालीन कोटा उचित रूप से उत्तरवर्ती श्रेणी के लिए उपलब्ध कराया जाता है।याचिकाकर्ता सेवा कोटे का लाभ लेने के लिए नियमित रूप से भर्ती किए गए बीमा चिकित्सा अधिकारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।11. उपरोक्त कारणों से, हम याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं।तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।

एफ.

12. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अंकित ज्ञान

याचिका खारिज कर दी गई।

जी.

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)

6 (1984) 3 एस. सी. सी. 654

एच.